चुनावी बॉन्ड व राजनीतिक वित्तीय में अस्पष्टता

A. चुनावी बॉन्ड के बारे में:

चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान करने के लिए एक नया वित्तीय साधन है जिसे कि केंद्रीय बजट 2017-18 में पहली बार वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 के अनुसार, चुनावी बॉन्ड प्रतिज्ञायुक्त पत्र की तरह जारी किया गया एक बांड है, जो एक वाहक दस्तावेज होगा। यह एक वाहक यंत्र है, जो खरीदार या प्राप्त कर्ता का नाम नहीं लेता है, इसमें कोई स्वामित्व की जानकारी दर्ज नहीं की जाती है और दस्तावेज के वाहक (यानी राजनीतिक दल) को ही मालिक माना जाता है।

इस योजना को 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था, और इसमें किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक हैं) अथवा घरेलू कंपनी को चुनावी बॉन्डों द्वारा अपने पसंद के राजनीतिक दलों को दान करने की अनुमति दी गई है। ये चुनावी बांड एक हजार रूपये , दस हजार रूपये, एक लाख रूपये, दस लाख रूपये और एक करोड़ रूपये में जारी किये जाते हैं, और उन्हें 15 दिनों के अंतर्गत में नकदीकरण करना होता है | एक व्यक्ति अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है अथवा एक व्यक्ति (कॉर्पोरेट संस्थाओं सहित) खरीद सकता है और चुनावी बॉन्ड खरीदने की संख्या पर कोई सीमा मौजूद नहीं है। जिन बॉन्डों का 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर नकदीकरण नहीं होगा उन बॉन्डों की राशि को अधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष (पीएमआरएफ) में जमा कर दिया जायेगा | अभी तक, पीएमआरएफ में कुल रु 20.2833 करोड़ (0.31 प्रतिशत) के 144 बॉन्ड जमा किये गए हैं | इस प्रकार, पंद्रह चरणों के दौरान खरीदे गए कुल बॉन्डों में से 99.69 प्रतिशत को वैधता अवधि के भीतर राजनीतिक दलों द्वारा नकदीकरण किया गया था।

केवल वे राजनीतिक दल जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं, चुनावी बॉन्ड खरीदने के काबिल हैं-(i) जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत और (ii) लोक सभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में एक प्रतिशत से भी कम मत प्राप्त हुए। चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से दानदाताओं की पहचान का रिकॉर्ड रखने के लिए राजनीतिक दलों का दायित्व ख़त्म हो गया है। जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई धनराशि देते हैं और जिसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को प्रतिवर्ष देते हैं।

B. एडीआर का चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों का विश्लेषण:

एडीआर ने पंद्रह चरणों (मार्च 2018 से जनवरी 2021 तक) में खरीदे गए कुल चुनावी बॉन्डों की राशि और राजनीतिक दलों द्वारा नकदीकरण किए गए बॉन्डों का शाखा-वार और मूल्यवर्ग-वार विश्लेषण किया है जिसका प्रारंभिक निष्कर्ष यह है –

1. मार्च 2018 से जनवरी 2021 के बीच पंद्रह चरणों में 6534.78 करोड़ रूपये के कुल 12,924 चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। इस अवधि के दौरान 6514.50 करोड़ रुपये के 12,780 बॉन्ड का

नकदीकरण किया गया। चुनावी बॉन्ड के कुल मूल्य का 55.43 प्रतिशत केवल दो महीनों (मार्च और अप्रैल 2019) में ख़रीदा गया। इस दौरान लोक सभा चुनाव हो रहे थे।

2. खरीदे गए बॉन्डों में से एक करोड़ रूपए के मूल्य वाले कुल 92.046 प्रतिशत यानि रु 6015 करोड़ के मूल्यवर्ग के थे | यह दर्शाता है कि ये बॉन्ड व्यक्तियों के बजाय कॉर्पोरेट्स द्वारा ख़रीदे जा रहे हैं।
3. मार्च 2018 और जनवरी 2021 के बीच, दिल्ली (जहाँ राष्ट्रीय दलों का मुख्यालय स्थित है) से 9108 चुनावी बॉन्ड्स का नकदीकरण किया गया, जिनकी कुल कीमत रु 5013.52 करोड़ थी जो पूरे नकदीकरण राशि का 76.96 प्रतिशत था (जबकि बॉन्ड का अधिकतम मूल्य मुंबई में ख़रीदा गया)।
4. वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच, राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल रु. 2,760.20 करोड़ कि राशि प्राप्त हुई | इसमें से 60.17 प्रतिशत यानि रु 1660.89 करोड़ कि राशि एक ही दल को मिली जो वर्तमान में सत्ताधारी राजनीतिक दल है।
5. चुनाव आयोग के साथ प्रस्तुत की गई BJP की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी को वित्त वर्ष 2017-18 में चुनावी बॉन्ड के रूप में रु. 210 करोड़ का योगदान मिला था। यह 2017-18 में ख़रीदे गए सभी चुनाव बॉन्ड का 95 प्रतिशत हिस्सा था। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, BJP को रु. 1,450 करोड़ के चुनावी बॉन्ड मिले थे और INC को रु. 383 करोड़ के चुनावी बॉन्ड मिले थे।
6. राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड के कुल मूल्य में से 68.08 प्रतिशत केवल तीन महीनों मार्च 2019 (आठवा चरण), अप्रैल 2019 (नौवा चरण) और मई 2019 (दसवां चरण) में भुनाया गया। इस दौरान लोक सभा चुनाव हो रहे थे।
7. चुनावी बॉन्ड योजना द्वारा दानदाताओं और राजनीतिक दलों को प्रदान की जाने वाली गुमनामी को देखते हुए, यह राजनीतिक दलों का दान देने के सबसे लोकप्रिय तरीके के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2018-19 में एडीआर द्वारा विश्लेषण किए गए राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 52 प्रतिशत से अधिक और क्षेत्रीय दलों की कुल आय का 53.83 प्रतिशत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान से आया है।
8. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एडीआर ने विश्लेषण में पाया कि चार राष्ट्रीय दलों (BJP, INC, NCP और AITC) ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से रु. 1960.68 करोड़ और सात क्षेत्रीय दलों (BJD, TRS, YSR-C, SHS, TDP, JDS, और SDF) ने चुनावी बांड के माध्यम से रु. 578.49 करोड़ का दान प्राप्त किया था।
9. वित्तीय वर्ष 2019-20 में एडीआर ने विश्लेषण में पाया कि जिन राजनीतिक दलों की ऑडिट/दान रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में अब तक उपलब्ध हैं, उनमें से 8 राजनीतिक दलों जैसे AITC, BJD, JDS, TDP, AIADMK, SAD, DMK और JDU ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से रु. 311.37 करोड़ का दान प्राप्त किया हैं।
10. राष्ट्रीय दलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे अधिक रु. 881.26 करोड़ का कॉर्पोरेट दान प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु 563.19 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु 573.18 करोड़ (इस दौरान लोक सभा चुनाव हुए थे) का दान प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2018-19 के बीच राष्ट्रीय दलों के प्राप्त कॉर्पोरेट दान में 974 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गयी है।

C. चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 अनियन्त्रित, असंवैधानिक और समस्याग्रस्त क्यों है:

1. वित्त अधिनियम 2017, जिसने चुनावी दान के उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड की प्रणाली शुरू कर उसे धन विधेयक के रूप में पारित किया। इस अधिनियम के माध्यम से लाए गए संशोधन का परिणाम यह है कि अब राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग को अपनी योगदान रिपोर्टों में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने वाले लोगों के नाम और पते का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इससे राजनीतिक दलों के वित्त में पारदर्शिता पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है और इससे राजनीतिक दान मौलिक रूप से बदल गया है।

2. चुनावी बॉन्ड नागरिक के मौलिक 'जानने का अधिकार' का उल्लंघन करते हैं। यह जनहित की कीमत पर सूचना पर इस तरह का अनुचित और तर्कहीन प्रतिबंध पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल सिद्धांतों के लिए एक गंभीर झटका है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचनाओं को रोककर राजनीतिक वर्ग को और भी अधिक अस्थिर और अस्वीकार्य बना देना 'लोकतंत्र और कानून के नियम' के बहुत खिलाफ जाता है।

3. एक तरफ चुनावी बॉन्ड नागरिकों को कोई विवरण नहीं देते हैं कि किस पार्टी को दान दिया जाए, लेकिन यह उपरोक्त गुमनामी सरकार पर लागू नहीं होती है। जो भी सरकार सत्ता में हो वह कभी भी एसबीआई से डेटा की मांग करके दानदाता के विवरण तक पहुंच सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि इन दान के स्रोत के बारे में अंधेरे में एकमात्र करदाता लोग हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए, कि इन बॉन्ड्स की छपाई और बॉन्ड्स की बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए एसबीआई आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे से भुगतान किया जाता है।

4. चुनावी बॉन्ड निश्चित रूप से राजनीतिक दलों और कॉर्पोरेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरे हैं। यह अपारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं और हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में अवैध धन को वैधता प्रदान करते है, जबकि रु. 6500 करोड़ से अधिक के बॉन्ड ख़रीदे जा चुके है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय निर्वाचन आयोग, यहाँ तक कि कानून मंत्रालय जैसी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और राज्यसभा के विभिन्न सांसदों ने अपनी आशंका जताई है और सरकार को चुनावी बॉन्ड स्कीम के खिलाफ कई बार चेतावनी देते हुए कहा है कि यह काले धन के संचलन, धन शोधन, और जालसाजी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। इन संस्थानों ने न केवल चुनावी बॉन्ड के तंत्र का विरोध किया था अपितु इसे "बुरी मिसाल" करार दिया था। इन आपत्तियों की न केवल अवेहलना की गई, किन्तु इस योजना को कम संवेदनशील बनाने के लिए दिए गए सुझावों को भी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया।

6. भारत निर्वाचन आयोग ने कहा था कि "एक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किसी भी दान को रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया है और इसलिए, इस फैसले को वापस लेने की आवश्यकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह कभी पता नहीं लगाया जा सकता है कि राजनीतिक दलों ने सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से कोई दान लिया है या नहीं। भारत निर्वाचन आयोग की चिंताओं के प्रति कोई भी ध्यान देने के बजाय, केंद्र सरकार ने आयोग द्वारा इस तरह के किसी भी फैसले पर उठाये गए सवाल के बारे में राज्यसभा में जमकर झूठ बोला था। इसके अलावा, सरकार ने इस तथ्य के बारे में भी झूठ बोला कि राजनीतिक प्रतिशोध के डर से दानदाताओं ने चुनावी बॉन्ड में गोपनीयता की मांग की।

7. सरकार ने एसबीआई को समय सीमा समाप्त वाले अवैध तरीके से बेचे गए रु. 20 करोड़ के चुनावी बॉन्ड को भी स्वीकार किया है।

8. चुनावी बॉन्ड विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक वर्णों को बॉन्ड के ऊपरी-दाएँ कोने में छिपा कर ले जाते हैं। यह केवल पराबैंगनी प्रकाश के नीचे दिखाई देता है, और खुली आँखों के लिए अदृश्य दिखाई देता है। अपने शपथपत्रों में, सरकार ने दावा किया है कि अल्फान्यूमेरिक वर्ण सुरक्षा कारणों से निहित हैं, लेकिन इस तर्क को कई विशेषज्ञों ने ख़ारिज कर दिया है। 'द क्विंट' और कई अन्य रिपोर्टों द्वारा प्रकाशित लेखों की श्रृंखला स्पष्ट रूप से बताती हैं कि बॉन्ड में मौजूद ऐसी सुविधा इस कारण से है कि सरकार दानदाताओं पर गुप्त नजर रखना चाहती है। एक तरफ चुनावी बॉन्ड नागरिकों को कोई विवरण नहीं देते हैं कि किस पार्टी को दान दिया जाए, लेकिन उपरोक्त गुमनामी आज की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो हमेशा एसबीआई से डेटा की मांग करके दानकर्ता के विवरण तक पहुंच सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि इन दान के स्रोत के बारे में अंधेरे में एकमात्र भारतीय जनता और विपक्षी दल हैं।

9. भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त श्री एस. वाई. कुरैशी ने एक साक्षात्कार में कहा था; "चुनावी बॉन्ड खरीदते समय, व्यक्ति को अपने केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। केवाईसी विवरण के साथ मिलान किए गए बॉन्ड की क्रम संख्या स्पष्ट रूप से बताएगी कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दान किया है।"

10. वित्त मंत्रालय ने कई मौकों पर राज्य विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की अनिर्धारित और अवैध बिक्री को मंजूरी देकर अपने ही नियमों को तोड़ा है।

11. इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और एक चुनावी वर्ष के दौरान अतिरिक्त 30 दिन प्रदान किए जाते हैं। हालांकि, फरवरी, 2019 में, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले, वित्त मंत्रालय ने

मार्च, अप्रैल और मई के महीने में बॉन्ड जारी करने के लिए कुल 45 दिनों की अवधि निर्धारित की थी। जबकि मार्च और मई के महीने में एक चुनावी वर्ष के लिए बॉन्ड जारी करने के लिए 30 दिनों की अवधि निर्धारित की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल, 2019 के अपने अंतरिम आदेश में बॉन्ड की बिक्री और खरीद के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए अतिरिक्त 5 दिनों को हटाने का आदेश दिया था।

12. **बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 के दौरान चुनावी बॉन्ड की बिक्री और खरीद:** भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 19 से 28 अक्टूबर (चरण चौदह) के बीच बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉन्ड जारी करना भी एक मामला है। योजना की अधिसूचना दिनांक 02.01.2018 जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में चुनावी बॉन्ड की बिक्री को निर्धारित करती है। हालांकि जनवरी 2020 में 13वें चरण के बाद, अप्रैल और जुलाई में बॉन्ड बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थे। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर में बिक्री के लिए उपलब्ध थे। स्पष्ट रूप से, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दान राजनीतिक दलों के चुनाव अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो यह दोहराते है कि राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के बारे में जानकारी तक पहुंच और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनश्चित करना और मतदान के बारे में बताना महत्वपूर्ण है।

13. कानून मंत्रालय ने बार-बार वित्त मंत्रालय की इस बात पर आपत्ति जताई कि चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए राजनीतिक दलों के पास लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 1 प्रतिशत वोट शेयर होना चाहिए। कानून मंत्रालय इस बात पर कायम है कि इस योजना को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

14. यह बात स्पष्ट है कि अधिकांश बॉन्ड एक ही पार्टी को प्राप्त हुए थे और चुनावों के समय इन बॉन्ड्स का एक बड़ा हिस्सा ख़रीदा और नकदीकरण किया गया था, जो समकालीन लोकतंत्र के केंद्रीय घटक और चुनावों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

15. ऐसी स्थिति में जहां चुनावी बॉन्ड और कंपनियों के माध्यम से प्राप्त योगदानों की रिपोर्ट नहीं की जाती है, यह कभी भी पता नहीं किया जा सकता है कि क्या किसी राजनीतिक दल ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई दान लिया है जो की राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से दान लेने से रोकता है।

16. **चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अयोग्य राजनीतिक दल भी दान प्राप्त कर रहे हैं:** 5 मार्च 2019 को एडीआर के आवेदन के जवाब में, सर्वोच्च न्यायलय ने 12 अप्रैल 2019 के अपने अंतरिम आदेश में सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए कि वे 30 मई 2019 को या उससे पहले चुनावी बॉन्डों के माध्यम से प्राप्त दान का विवरण सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग

को प्रस्तुत करें | एडीआर ने राजनीतिक दलों कि पात्रता कि जाँच की, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुपालन में चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत किए थे, विश्लेषण के निष्कर्षो ने योजना को अमल में लाने पर कई प्रश्न उठाए हैं –

- 69 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों ने सर्वोच्च न्यायलय के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए सील बंद लिफाफे के माध्यम से चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया था इनमें से केवल 43 दलों के वोट शेयर का विवरण उनकी पात्रता का आकलन करने के लिए उपलब्ध था।
- चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में वर्णित पात्रता मापदंड के अनुसार, विश्लेषण किए गए 43 दलों में से केवल एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल को ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के योग्य पाया गया।
- चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में उल्लिखित पात्रता मापदंडों के अनुसार, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के योग्य राजनीतिक दलों की कोई सूची सार्वजनिक क्षेत्र में या चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है | 10 अक्टूबर 2019 को एडीआर के आरटीआई आवेदन पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया की ऐसी किसी भी सूची को संकलित नहीं किया है |
- जाहिर है की राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड को नगदीकरण करने से पहले, उनकी योग्यता पर किसी भी स्तर पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई जाँच नहीं की जाती की वह राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के तहत नगदीकरण करने के योग्य है या नहीं |

17. **चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत के बाद से भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है:** चुनावी बॉन्ड योजना ने राजनीतिक दलों को अनुमति देकर काले धन का समर्थन और प्रोत्साहन किया है। राजनीति में धनबल और बाहुबल के बीच पहले से ही एक मजबूत सांठगांठ है जहां केवल धनी और बाहुबली व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगा। जनवरी, 2017 में, भारत में कुल 1500 राजनीतिक दल थे। 30 सितंबर, 2020 तक, भारत में राजनीतिक दलों की कुल संख्या बढ़कर 2,628 हो गई है। नई पार्टियों की इस भरमार का कारण निश्चित रूप से सरकार की विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना और असीमित और गुमनाम कॉर्पोरेट संगठन के प्रति संदेह की सुई को इंगित करता है। इन दलों का एक विशाल बहुमत कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा। इनमें से कुछ पार्टियां धनशोधन ऑपरेशन में भी शामिल हो सकती हैं या बस अपनी स्थिति का उपयोग कर काले धन को सफेद में बदल सकती हैं।

18. लोकसभा चुनाव 2019 को अब तक का 'सबसे महंगा' चुनाव करार दिया गया है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (CMS) की रिपोर्ट में 2019 के संसदीय चुनावों के दौरान रु. 55,000-60,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया गया था। कुल मिलाकर, 1998 और 2019 के बीच पिछले छह लोकसभा चुनावों में खर्च ने छह गुना वृद्धि देखी, जो 1998 में रु. 9,000 से लेकर 2019 में रु. 55,000 करोड़ से अधिक थी।

19. लोकसभा चुनाव 2019 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा बेनामी फंडिंग देखी गई। वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच, राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल रु. 2,760.20 करोड़ मिले।

D. एडीआर की सिफारिशें

1. एडीआर ने प्रस्ताव दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

2. सभी राजनीतिक दलों को जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने योगदान में दिए गए वित्तीय वर्ष में प्राप्त दान की कुल राशि के साथ प्रत्येक बॉन्ड के अनुसार दानदाताओं के विस्तृत विवरणों, प्रत्येक बॉन्ड की राशि और प्रत्येक बॉन्ड को प्राप्त श्रेय के पूर्ण विवरण की घोषणा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति की एक सच्ची तस्वीर आम जनता के सामने आए, इसके लिए प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग ढांचे को मानकीकृत किया जाना चाहिए।

3. चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुसार, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और आवश्यक मतदान प्रतिशत के आधार पर पिछले लोक सभा या विधान सभा का विवरण नियमित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इस सूची को सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए साथ ही साथ इस सूची की प्रतियां चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए अधिकृत 29 एसबीआई बैंक की शाखाओं में उपलब्ध होनी चाहिए।

4. कर के लाभ की छूट के अलावा, राजनीतिक दलों पर प्रकटीकरण प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए।

5. राजनीतिक दल जो लम्बे समय तक निष्क्रिय रहते हैं और चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये दल चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से दान प्राप्त करना जारी रखते हैं, इस तरह के दलों को चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की सूची से हटा देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके की ऐसे दल चुनावी बॉन्ड्स योजना 2018 का लाभ उठाने में असमर्थ रहें।

6. चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए की कोई भी राजनीतिक दल जो चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करता हो पर वह दल

निर्धारित मतदान प्रतिशत से कम मतदान प्राप्त करता हो, इस तरह के बॉन्ड्स को वह दल नकदीकरण न कर सके।

7. सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान की सभी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। सभी दानदाताओं का पूरा विवरण सार्वजनिक जांच के लिए आरटीआई के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

8. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) और चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित निकाय द्वारा दलों द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए।

9. केंद्रीय सूचना आयोग 2013 के आदेश के अनुपालन में राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे में लाया जाना चाहिए।